आज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जीवा देवी बनाम मेजर सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 08 सन् 2024

सी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/39

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म
24.05.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस अर्ज किया कि चक 3 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13, 18, 23 की कुल 8 बीघा भूमि लक्ष्मण राम को बतौर विस्थापित व्यक्ति आवंटित की गई थी। जो पुर्नःस्थापन विभाग की थी, लक्ष्मणराम के खिलाफ सिलिंग कानूनी प्रभावी नहीं था और लक्ष्मणराम की उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को अलॉट नहीं हो सकती थी। परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से पाखर राम के खिलाफ सिलिंग प्रकरण में लक्ष्मण का उक्त निर्णय पाखर सिंह द्वारा अपील संख्या 202/1976 में अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था और सिलिंग निर्णय से लक्ष्मणराम की भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई थी। वह इन्द्राज स्वत निरस्त हो गया था। इस दौरान उक्त भूमि मेजर सिंह के नाम दर्ज हो गई थी और कब्जा पूर्व की तरह ही लक्ष्मण राम के पास व उसकी मृत्यू के बाद प्रार्थिया संख्या 1 के पास चला आ रहा है। मेजर सिंह के नाम यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश कर रहे है। यदि मेजर सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। अतः मेजर सिंह अप्रार्थी के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी चक 3 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13, 18, 23 की कुल 8 बीघा भूमि में प्रार्थिया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने व भूमि का अन्यत्र हस्तान्तरित करने से निषेध रहे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादगत भूमि उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के आदेश द्वारा मेजर सिंह को अलॉट कर दी गई और इस अलॉटमेंट आदेश के तहत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 मेजर सिंह के नाम दर्ज हो गई। अलॉटमेंट के रोज से मुरब्बा नम्बर 39 के 8 बीघा भूमि का कब्जा मेजर सिंह को सौंप दिया गया। जिस पर आज भी मेजर सिंह के वारिसान का कब्जा काश्त है। वादगत भूमि की पानी की पर्ची भी मेजर सिंह के नाम से जारी कर अप्रार्थीगण को दी हुई है। वादगत भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा विधिवत है। जिस कारण लक्ष्मण राम के वारिसान वादगत भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर